<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टीए/4402/2005/भीलवाड़ा</u>

1– सुखा पुत्र भागीरथ जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2– गणेश पुत्र भागीरथ जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– भैरू लाल पुत्र हरलाल जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2– कन्हैया लाल पुत्र हरलाल जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3– किशल लाल पुत्र हरलाल जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4– बालू पुत्र हरलाल जाट, निवासी हरणीकला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5– मांगी बाई पुत्री हरलाल जाट, पत्नी कालू जाट निवासी भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6– मु. चांदी पुत्री हरलाल जाट पत्नी शंकर लाल जाट, निवासी हरनोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7– नारू पुत्र देवा जाट, निवासी हरणी कला तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

....प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
डॉ. महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री शंकरलाल जाट, अभिभाषक अप्रार्थीगण

अपील/डिक्री/टीए/4402/2005/भीलवाड़ा
सुखा वगैरह बनाम भैरूलाल वगैरह

निर्णय

दिनांकः– 8.10.2025

1. यह अपील याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–225 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 व 188 के तहत वादपत्र में वर्णित आराजीयात बाबत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती व कब्जे काश्त की आराजी है तथा उसमें वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विचारण न्यायालय ने दावा तथा जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये बाद साक्ष्य व सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 21–07–2004 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–07–2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया, इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात में अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्सा व प्रत्यर्थीगण का 1/2 हिस्सा है जो मौके की स्थिति से साबित है और वर्ष 1981 से इसी अनुरूप अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण बहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का विवादित भूमि में 2/3 तथा प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा होने का गलत तथ्य जाहिर कर उनके द्वारा दावा किया गया जो बिना प्रमाणन विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा अनुसार साबित नहीं कर पाने से वाद खारिज करना चाहिए था परंतु विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय संपूर्ण रूप से स्वीकार न कर आंशिक रूप से स्वीकार कर पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 23 व 24 के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करते समय विवाद के बिंदू निर्धारित नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध होते हुए भी बिना किसी आधार के प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर कानून विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों बेचाननामों की मूल प्रति अपीलार्थीगण के पास होने और अपीलार्थीगण द्वारा इसे प्रस्तुत नहीं करने पर इनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रतिलिपि के विरूद्ध वक्त साक्ष्य कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विक्रय पत्र व अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित है कि अपीलार्थीगण ने आराजी मुतदाविया में 1/3 हिस्सा तथा प्रत्यर्थीगण ने 2/3 हिस्सा क्रय किया है। प्रकरण के पक्षकार उक्त तथ्य से पूर्ण भिज्ञ हैं तथा इसी अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का पक्ष साबित न होना मानकर विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि इन पर प्रदर्श व पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के आधार पर ही पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को रिमांड किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने मातहत न्यायालय आदेश को अपास्त किया है इसलिये अपीलार्थीगण की अपील चलने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपने दावे में ही इस तथ्य का उल्लेख कर दिया था कि दोनों असल विक्रय पत्र अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के कब्जे में हैं। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा विक्रय पत्रों की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि को विधिवत प्रक्रिया पूरी करने पर साक्ष्य में ग्रहण योग्य माना है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। पक्षकार अपना पक्ष पुनः परीक्षण में प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा बहस में प्रस्तुत बिंदुओं का विश्लेषण किया गया तथा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों के साथ–साथ पत्रावलियों का भी गहनता से अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत दावे में प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा विवादित भूमि को जरिये दो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13–03–1981 को क्रय करना तथा खरीद व प्रतिफल अदायगी अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 के पिता हरलाल तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 नारू प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा अपीलार्थीगण का होना जाहिर किया है, जिसका उल्लेख वे विक्रय पत्रों व इनके अमलदरामद में भी होना बताते हैं। दूसरी ओर अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण भूमि में आधा हिस्सा उनका तथा आधा प्रत्यर्थीगण का होना बताते हैं। इस स्थिति में विक्रय पत्रों में उल्लेख परीक्षण योग्य है। वादीगण का वाद पत्र में यह भी कथन है कि मूल विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के पास हैं। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य व विवेचन दावा डिक्री किया गया है। वादीगण के दोनों विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 तथा स्वयं वादी नारू (प्रत्यर्थी संख्या 7) के मौखिक साक्ष्य पी0डब्ल्यू01 प्रस्तुत किये हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 पर तथा मौखिक साक्ष्य नारू की जिरह पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से इन्हें विधिवत प्रदर्शित होना नहीं माना गया तथा इसी विवेचन के परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय के निर्णय को परिपूर्ण होना न मानकर इसे अपास्त कर प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हम कोई तथ्यपरक अथवा विधिक त्रुटि होना नहीं मानते हैं। दोनों पक्ष इस निर्णय के आलोक में अपना पक्ष विचारण न्यायालय में

रख सकते हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा उनकी साक्ष्य सुनवाई तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के प्रदर्श व नारू के मौखिक साक्ष्य आदि बाबत इंगित त्रुटि हेतु विधिसम्मत कार्यवाही व गुणावगुण पर विचारण उपरान्त पुनः निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य होना नहीं पायी जाती है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी तथा पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–07–2005 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। मातहत न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य